मुझे इस बात की खुशी है कि अभी इस छोटे सत्र में उस कमीशन आफ इंक्वायरी अमेंडमेंट एक्ट को भी निरस्त करने वाला कानून लाया जा रहा है। इस प्रकार संसद की गरिमा बढ़ाई जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सत्य पाल मलिक के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता को उनके रचनात्मक सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैंने यह समझा है कि उनको रचनात्मक सहयोग को विवेचनात्मक सहयोग तथा विषय आधारित सहयोग के साथ मिलाने में अधिक समय लगेगा। विपक्ष के नेता का कहना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द का उल्लेख नहीं है। पैरा-9 में कहा गया है : "धर्मनिरपेक्ष भारत हमारी भावनात्मक एकता तथा राष्ट्रीय अखंडता का मूल आधार है।" वे कहते हैं कि इसमें आसाम तथा पूर्वोत्तर राज्यों का कोई उल्लेख नहीं है। पैरा-8 में कहा गया है··· **(व्यवधान)**।

एक माननीय सदस्य : नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां··· **(व्यवधान)**। ठीक है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं··· **(व्यवधान)**।

श्री राजीव गांधी : मैंने यह कहा था कि कुछ सदस्यों ने अपने भाषणों में इसके बारे में अप्रतिष्ठाजनक बातें की थीं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ठीक है, मैं इस पर बल नहीं दूंगा; उन्होंने यह बात स्वीकार की हैं। फिर उन्होंने कहा कि इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कोई उल्लेख नहीं है। पैरा-30 में यह कहा गया है : "मेरी सरकार की विदेश नीति उन्हें आदर्शों और सिद्धांतों पर काफी हद तक आधारित है जिन्होंने स्वतन्त्रता की लड़ाई में प्रेरणा दी थी। यह बात हमारी विदेशी नीति के गुटनिरपेक्ष आंदोलन से दृढ़ता-पूर्वक जुड़े रहने तथा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नव-उपनिवेशवाद के विरुद्ध हमारे संघर्ष से झलकती है···।" फिर उन्होंने कहा कि इसमें लोकतंत्र का कोई उल्लेख नहीं है। पैरा-10 में यह कहा गया है : "लोकतांत्रिक संस्थाओं की पवित्रता और शक्ति पर एक स्वस्थ और सफल लोकतंत्र निर्भर करता है। सरकार उन संस्थाओं जिनको हाल के वर्षों में कमजोर कर दिया गया है, की प्रतिष्ठा और तेजस्विता को बहाल करने के लिए पूर्णतया वचनबद्ध है।" जब वे सत्ता में थे तो मैं शब्दाडम्बर की जरूरत को समझ सकता था, किन्तु जब वे विपक्ष में बैठे हैं तो मुझे शब्दाडम्बर की जरूरत समझ में नहीं आती है। ये बातें दस्तावेजों में, राष्ट्रपति के अभिभाषण में दर्ज हैं। विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी वही है जो जिम्मेदारी सदन के नेता की है। लेकिन यदि वह सभा में खड़े होकर लोगों से यह कहता है कि इसमें ऐसा नहीं है जबकि रिकार्ड में उसका लिखित प्रमाण है, तो उसकी क्या विश्वसनीयता है?

इस सरकार के साहस के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हम आए दिन आतंकवाद पर लगाम लगाने, आतंकवाद से सख्ती से निपटने तथा ऐसे ही बहुत से पर्यायवाची शब्द सुनते आए हैं। लेकिन यह इस सरकार के प्रधानमंत्री का साहस है कि वह अमृतसर गए तथा वहां लोगों से मिले। इसलिए, साहस की बात मत कीजिए। हम वहां फिर जायेंगे। हम एक बार नहीं कई बार पंजाब जायेंगे, हम पंजाब के लोगों के पास जायेंगे तथा यदि उनको कोई खतरा है तो हम

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

भी वह खतरा उठायेंगे···(**व्यवधान**)। महोदय मैं आत्मसमर्पण नहीं कर रहा हूं। हमने साढ़े तीन घटे तक काफी बर्दाश्त किया है···(**व्यवधान**)। मैं भी जितने समय तक आपने भाषण दिया उससे एक तिहाई समय तक भाषण देने के बाद बात पूरी करूंगा। मैं एक घंटे के बाद अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री राजीव गांधी : मैं इस सम्बन्ध में एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एक घंटे के बाद प्रश्न कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि आप एक घंटे के बाद प्रश्न कर सकते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, उनको भी बर्दाश्त करने दीजिए जैसाकि हमने तीन घंटे जक बर्दाश्त किया · (**व्यवधान**)।

श्री राजीव गांधी : महोदय, क्या मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? (**व्यवधान**) उन्होंने मुझे ऐसा करने की अनुमति दी है। आप क्यों चिल्लाते हैं? (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री राजीव गांधी को प्रश्न पूछने की अनुमति दी है।

श्री राजीव गांधी : यह कैसे हो सकता है कि भारत का प्रधानमंत्री अलगाववादियों और आतंकवादियों, जो हमारे देश के टुकड़े करना चाहते हैं, की धमकी में नहीं आता है? (**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्योंकि लोग उसकी ओर आकर्षित हुए हैं इसलिए मैं वैकल्पिक प्रकार की कार्यप्रणाली अपना रहा हूं। मैंने यह बात माननीय चिदम्बरम जी में— वैकल्पिक कार्यशैली अधिक भाषणबाजी करना—देखी है। यदि वे प्रश्न पूछते ही जा रहे हैं जैसाकि श्री नरसिम्हाराव जी ने कहा कि यह सरकार पिछली सरकार की विरासतों को स्वीकार नहीं कर रही है तो मैं यह बात कहता हूं कि हमें बहुत सी चीजें निरासत में मिली हैं; हमें पंजाब-समस्या विरासत में मिली है, हमें जम्मू और कश्मीर-समस्या विरासत में मिली है, हमें बोडो-समस्या विरासत में मिली है, हमें रामजन्म भूमि—बाबरी मस्जिद समस्या विरासत में मिली है, हमें भुगतान संतुलन की समस्या विरासत में मिली है, हमें श्रीलंका-समस्या विरासत में मिली है, हमें नेपाल-समस्या विरासत में मिली है। हमें विरासत में ऐसे 'उपहार' मिले हैं। (**व्यवधान**) लेकिन मैं उनकी कार्य शैली की प्रशंसा करता हूं। और वे खड़े होकर कहें, "हमने य समस्यायें पैदा की हैं। आपके पास इनका क्या समाधान है? (**व्यवधान**)। वे एक विशेष मनोवृत्ति से पीड़ित हैं तथा मैं मनोविज्ञान और दर्शनशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं तथा उनकी मनोवृत्ति है, 'चूकि ये समस्यायें हमने पैदा की हैं, इस जहां में उनका समाधान और कौन कर सकता है? और इसलिए हमने रचनात्मक सहयोग देने के उनकी चुनौती और रवैये को देख लिया है। (**व्यवधान**) तीन घंटे अर्थात् 11 बजे तक प्रतीक्षा कीजिए। (**व्यवधान**)।

नरसिम्हाराव जी ने इस सरकार पर सोच-विचार का कमी होने का आरोप लगाया है। मैं नरसिम्हाराव जी पर सोच-विचार की कमी होने का आरोप नहीं लगा सकता। ऐसा करना मेरी ओर से बहुत अनुचित होगा, लेकिन मेरा विचार है कि हम सब यह महसूस करते हैं कि

उनके सोच विचार में काम करने का अभाव है। यदि वास्तव में वह जो सोचते हैं वही करें तो कांग्रेस तथा राजनीति दोनों में परिवर्तन आ जायेगा।

एक माननीय सदस्य : यह बात विषय से सम्बन्धित नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह बात कमलापति जी के द्वारा कही गई बात के सम्बन्ध में है। कृपया अपने दिल टटोलें। उन्होंने हमें यह चेतावनी भी दी है, "कृपया कांग्रेस पर कालिख मत पोतिए।" महोदय, यदि कांग्रेस लिली के फूल की तरह पाक-साफ नहीं है तो यह कम से कम कमल की तरह पाक साफ तो होगी, यदि ऐसी भी नहीं है तो कम से कम ट्यूलिप की तरह पाक-साफ तो होगी। आप अपने रंग का चुनाव स्वयं कर सकते हैं, हमारे पास पोतने को कोई रंग नहीं है। हमने जो भाषण सुने उनमें पिछली सरकार ने क्या-क्या किया इसका बखान था तथा उनमें तनाव निरन्तर बना रहा तथा उनमें बार-बार यह पूछा जाता रहा कि, "शीघ्र बतायें कि आप इसका अनुसरण करते हैं अथवा नहीं, हमें तुरन्त बताइए।" (व्यवधान) जब हम विपक्ष में थे तो हमें कुछ जानकारी पाने के लिए वास्तव में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ा। आखिर हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम केवल उसकी प्रशंसा ही करते हैं। इसी प्रकार जब एक सरकार ने त्यागपत्र दे दिया है तो हमें इतना निर्मम होकर उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए।

8.25 म० प०

[श्रीमति गीता मुखर्जी पीठासीन हुई]

यह पिछली सरकार का करुण वर्णन है। मैं अधिक नहीं कहूंगा। परन्तु यदि मैं कुछ भी न कहूं तो तथ्य अपने आप सामने आ जायेंगे जोकि देश के लोगों से छिपे नहीं रह सकते। जहां तक इन सब दलीलों का सवाल है, ये सब वही हैं जोकि पिछले पांच वर्षों से दी जाती रही हैं तथा लोग इससे तनिक भी संतुष्ट नहीं हुए और इन सभी दलीलों का परिणाम सामने है। हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है।

जहां तक घोषणा पत्र, कार्यसूची का सवाल है, यह कहा गया है कि इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इसमें किसी खास विषय का उल्लेख नहीं किया गया है। सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि कम से कम हमने एक लक्ष्य तो सामने रखा है। सर्वप्रथम तो लक्ष्य निर्धारित करना होता है तथा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा नहीं दिया जाता है। जब आपको अपने लक्ष्यों का पता नहीं है तब तक आप उचित दिशा में कदम नहीं उठा सकते। आपको यह पता नहीं होगा कि आप किस दिशा में जायेंगे। यह हमारा लक्ष्य है और हमें इसी के अनुरूप ही परखा जाएगा। हम ऐसे नहीं हैं जिन्होंने पिछले चुनावों में बिना घोषणा पत्र के नामांकन पत्र दाखिल किया हो। हमने तत्कालीन प्रधानमंत्री को देखा है जो अब विपक्ष दल के सबसे बड़े नेता हैं।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) **:** सभा का सबसे बड़ा दल है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ठीक है। सभा में सबसे बड़ा दल है। "सभा में" ही क्यों, यह तो विश्व में है। कांग्रेस जैसे इतने बड़े दल के नेता और इसके प्रधानमंत्री ने अपना नामांकन पत्र अमेठी में बिना घोषणपत्र तथा बिना किसी विशेष कार्य विवरण के दाखिल किया है। इन्होंने

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

केवल नामांकन पत्र ही दाखिल नहीं किया है बल्कि बिना घोषणा पत्र के चुनाव प्रचार भी शुरू किया। अब वह हमारे विशेष कार्यक्रमों के बारे में पूछ रहे हैं। जी हां, हम अपने विशेष कार्यक्रम बतायेंगे। इस दस्तावेज पर चर्चा पूरी होने से पहले ही हमने लोकपाल विधेयक पर कार्यवाही शुरू कर दी हम इसे लायें हैं। जो विधेयक पिछले तीन वर्षों से आपके पास विचाराधीन था आप उसको अन्तिम रूप से पारित नहीं करवा पाये और वह बेकार हो गया। हमने इस विधेयक को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पूरी होने से पहले ही सभा में प्रस्तुत कर दिया और हम इसे पारित भी करवा रहे हैं। रेडियो तथा टेलीविजन पर…

श्री वसन्त साठे : आप इसे बिना बनाए ही प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह नया ढांचा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : खैर ! माननीय वसन्त साठे जी के साथ समस्या यह है कि वह बना तो लेते हैं परन्तु प्रस्तुत नहीं करते हैं।

श्री वसन्त साठे : यह तो प्रकृति का नियम है, परन्तु यह बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे पता है कि वह ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके और हमारे रवैये में फर्क है। उनके लिए सफलता एक घटना है, हमारे लिए सफलता एक प्रक्रिया है। अतः जब वह पिछली बार जीते थे तो उन्होंने सोचा था कि घटनाक्रम पूरा हो गया है तथा अब उन्हें कुछ नहीं करना है। हमारे लिए तो यह है कि हम जानते हैं कि यह एक घटना नहीं है तथा यह एक प्रक्रिया है और यह लगातार जारी चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए हम जागरूक रहेंगे तथा अपने वचन पर कायम रहेंगे। सर्वप्रथम तो मैं शक्तिशाली प्रचार माध्यमों—आकाशवाणी और दूरदर्शन, जोकि इलेक्ट्रानिकी प्रचार माध्यम हैं, को स्वायत्तता दे रहा हूं। हम यह कार्य करेंगे। हम इस कार्य को करके देखेंगे। हम एक लोकतांत्रिक दृष्टान्त और मानदण्ड कायम करेंगे बजाय इसके कि एक सरकार को बचाने के लिए हम सभी लोकतांत्रिक परम्पराओं को समाप्त कर दें। यही फर्क है और राजनीति में कार्य करने का वैकल्पिक तरीका है तथा राजनीति का वैकल्पिक कार्यरूप और ढांचा है।

उन्होंने 59वें संशोधन की बात कही है। विपक्ष के नेता ने कहा है "आप इसे अब प्रस्तुत कर रहे हैं और यह अगले सत्र तक समाप्त हो जाएगा। इसमें आश्चर्य क्या है।" बात यह है कि यह विचार कि जीवन का अधिकार समाप्त किया जा सकता है एक ऐसा विचार है जिसे शुरू में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। क्या आप यह वचन देते हैं कि यदि हम 59वें संशोधन को वापस लेने के लिए कल एक विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो आपको देर रात तक बैठना पड़ेगा और हमें इस विधेयक को पास करना पड़ेगा।

श्री राजीव गांधी : जी हां, हम ऐसा करेंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ठीक है, अध्यक्ष महोदय, यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया गया है।

श्री राजीव गांधी : हम इस सत्र में और अधिक समय तक बैठ सकते हैं परन्तु आपका दल इसे जल्दी समाप्त करना चाहता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी उपलब्धि है यह विजय श्री है। (व्यवधान)

देश के नागरिकों के रूप में हमें गलती का यह एहसास हुआ है हमने इस सभा जो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, द्वारा ऐसा विधेयक पारित करवाया जिसने जीवन के मूल अधिकार को छीन लिया। और ऐसे कानून का एक मिनट के लिए भी जारी रहना हमारे लिए शर्मनाक बात है। मुझे खुशी है कि विपक्ष के नेता ने इसे समझा है और इसके समाप्त होने से पहले ही इसे वापस लेने के लिए अपनी सहमति दी।

डाक विधेयक के सम्बन्ध में भी हम राष्ट्रपति को इसे वापस भेजने के लिए सिफारिश कर रहे हैं। यही नहीं इस कार्यसूची में कोई खास बात नहीं है। यही कुछ कार्य मुद्दे हैं। हम अपने बारे बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। हम विनम्र हैं हम कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि हमने जो कुछ किया है वह कभी भी नहीं हुआ है। विपक्ष के नेता कहते हैं कि देश का सम्मान इतना बढ़ा है जितना कि जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समय में भी नहीं था। हम अपने बारे में इतनी बातें नहीं करते हैं।

एक जनवरी को सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग समय बद्ध कार्यक्रम तैयार करेंगे जिससे कार्यों को पूरा किया जा सके। हम बजट सत्र के लिए प्रतीक्षा नहीं करेंगे। लोग तब तक इन्तजार नहीं करेंगे। हम जानते हैं क्योंकि हम लोगों के सम्पर्क में रहते हैं और हम इस बात के लिए तैयार हैं कि लोग हमारे बारे में हमारे द्वारा कही गयी बातों तथा किए गए कार्यों के आधार पर अपनी राय बनायें।

श्रमिकों की प्रबन्ध में भागीदारी के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनमें आपसी तालमेल बढ़े तथा गुप्त मतदान द्वारा श्रमिकों की प्रबन्ध में भागीदारी एक वर्ष के दौरान लागू हो सके हम 8 जनवरी को सभी श्रमिक संगठनों और राजनीतिक दलों की बैठक बुला रहे हैं। हम इस विधेयक को बजट सत्र के दौरान पारित करेंगे। मैं वचन देता हूं कि यह मेरा कार्य होगा तथा केवल शब्दों तक ही नहीं रहेगा।

औद्योगिक विधेयक में भी हम श्रमिक संगठनों तथा विपक्षी दलों के साथ बातचीत करेंगे। और हम पारित किए गए श्रमिक विरोधी कानूनों में सुधार लायेंगे जोकि एक समयबद्ध कार्यक्रम हैं।

चुनाव सुधारों के सम्बन्ध में हमने कार्यवाई शुरू कर दी है। 9 जनवरी को चुनाव सुधारों के बारे में एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का हमारा विचार है तथा अगले बजट सत्र तक हम चुनाव सुधार पर प्रस्ताव लायेंगे। यह भी एक समयबद्ध कार्यक्रम है।

कर्जों के बारे में राहत देने के सम्बन्ध में योजनायें वित्त मंत्रालय में विचाराधीन है और बजट में इसकी झलक दिखाई देगी।

भूमि सुधार के मामले में उन्होंने पूछा "कि आप भूमि सुधार विधान को नौवीं अनुसूची में क्यों सम्मिलित करना चाहते हैं।" उन्होंने मुझसे पूछा, "उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते के रूप आपको क्या अनुभव हुए थे ?" मुझे अनुभव हुए थे। इसलिए यह बात मैंने यहां पर रखी है।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

अतिरिक्त भूमि के वितरण हेतु हमने एक अभियान चलाया। अनेक मुकदमे लम्बित रहे। मुख्य-मंत्री के रूप में मैं राज्य में कानून बनाना चाहता था। पर इस लम्बे मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को गरीब लोग सहन नहीं कर सकते थे तथा मुझे बताया गया, "जब तक इसकी व्यवस्था नौवीं अनु-सूची में नहीं हो जाती है, तब तक आप कानून नहीं बना सकते। अतः वचनबद्धता है।

[हिन्दी]

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : सभापति महोदय, मेरा एक प्वाइंट ऑफ आर्डर है। दहिया ट्रस्ट में 5400 एकड़ भूमि जो सरप्लस थी और बहुगुणा जी के मुख्य मंत्रित्व काल में भूमिहीनों को जो पट्टा दिया गया था, जिसको आपने छीन लिया था, उसे आप वापिस करायेंगे या नहीं ? राम जानकी ट्रस्ट जिसमें 10 अरब रुपये के हीरे-जवाहरात हैं **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की है।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं भी अपने आपको प्रसंग तथा विषयों तक पाबन्द रखता हूं। इन्हीं विषयों में लिए मैं इस सभा में वचन दे रहा हूं। हम राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन जनवरी में कर लेंगे और हम इसकी बैठक शीघ्र ही—सम्भवतः जनवरी के अंत तक अथवा बजट सत्र से पूर्व फरवरी के पहले सप्ताह में बुलायेंगे।

[हिन्दी]

श्री आर० एन० राकेश : सभापति महोदय, इन्होंने दहिया ट्रस्ट का जबाब नहीं दिया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप चिन्ता मत कीजिए, उसका भी जवाब देंगे। **(व्यवधान)**।

[अनुवाद]

मैं अब एक कार्य सूची ही प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। मैं इस सभा में एक समयबद्ध कार्यवाही कार्यक्रम देने के लिए वचनबद्ध हूं। हम बजट-सत्र से पूर्व अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन कर लेंगे और हम मुख्य मंत्रियों के साथ परस्पर विचार-विमर्श करेंगे।

न्यायिक सुधारों तथा पंचायती राज के बारे में हम अगले बजट सत्र में जनता के हाथों में सत्ता सौंपने सम्बन्धी कानून लाएंगे। इसके साथ सरकारी गोपनीयता अधिनियम तथा सूचना पाने के अधिकार के बारे में भी कानून लायेंगे तथा ये हमारे कार्यक्रम की मौलिक बातें हैं। हमारे योजना आयोग के पास आज की तुलना में काफी अधिक शक्तियां होंगी। यह हमारा कार्यक्रम है, समयबद्ध कार्यक्रम है और बजट सत्र की समाप्ति तक यह इस देश में एक वास्तविकता के रूप में होगा। **(व्यवधान)**

श्री रंगाराजन कुमार मंगलम् : काम के अधिकार के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : काम के अधिकार के बारे में भी विचार किया जाएगा। यदि आप सहयोग करेंगे तो हम काम के अधिकार के लिए संविधान में व्यवस्था कर देंगे। (व्यवधान)

विपक्ष के नेता तथा उनके साथी यह कह रहे हैं : "हम आपको एक अति ऊंची विकास दर के साथ एक शानदार अर्थ व्यवस्था सौंप रहे हैं।" मैं इस प्रलेख अर्थात् आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रलेख से एक उद्धरण दे रहा हूं। इस परिषद के सदस्यों का हमने नाम निर्दिष्ट नहीं किया था। सम्भवतः उनका नाम-निर्देशन विपक्ष के नेता की सहमति से किया गया था। हमने इस परिषद में परिवर्तन नहीं किया है। इसमें यही बात कही गई है। "अप्रैल-अगस्त, 1989 का औद्योगिक उत्पादन।" "हमें यही बात पता चल रही है।" "... इससे केवल 3.8 प्रतिशत विकास दर का ही पता चलता है।" यह विकास दर 4 प्रतिशत भी नहीं है। विकास दरें कहां है ?

श्री राजीव गांधी : चार मासों में 3 प्रतिशत।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी नहीं, जी नहीं। प्रतिशतता की दर। (व्यवधान)।

माननीय सदस्य, अब आप वित्त मंत्री के रूप में, जब मुझे उनके साथ काम करना पड़ा, मेरी कठिनाई को समझ सकते हैं। (व्यवधान)।

घाटे के अनुपात के आंकड़ों, जिनका वे उल्लेख करते आ रहे हैं, के बारे में जब मैं वित्त मंत्री था ... (व्यवधान) ... और मैंने समाचार-पत्रों में यह पढ़ा कि एक राज्य को 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 1000 करोड़ रुपए जम्मू और कश्मीर को दिए गए थे क्योंकि वहां चुनाव नजदीक थे, जब हरियाणा में चुनाव नजदीक थे तो यह राशि हरियाणा को दी गई थी, जब पश्चिमी बंगाल में चुनाव नजदीक थे, तो यह राशि पश्चिमी बंगाल को दी गई थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दिए नहीं गए थे, भाई, बल्कि देने का वायदा किया गया था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी, हां। मुझसे कहा गया, विश्वनाथ जी, आपको यह घोषणा देखकर काफी चिन्ता होगी। मैंने कहा, मुझे इसलिए चिन्ता हो रही है क्योंकि हमारे पास धन नहीं है ? अब मैं एक हजार करोड़ रुपयों की व्यवस्था नहीं कर सकता और मेरे विचार में श्री फारुख एक सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं।

और वही आर्थिक सलाहकार परिषद यह कहती है, "वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से लेकर 17 नवम्बर तक भारतीय रिजर्व बैंक का शुद्ध केन्द्र सरकार पर ऋण 12,403 करोड़ रुपए हो गया है।" अभी चार महीने बाकी हैं।" "बजट घाटा, अब भी यथा, स्पष्ट रूप से बजट अनुमानों में लगाए गए अनुमानों की तुलना में बहुत अधिक हो रहा है। वित्तीय असन्तुलन के परिणामस्वरूप मुद्रा की आपूर्ति में । मार्च और 17 नवम्बर के बीच 12 प्रतिशत तक वृद्धि हो गयी है।" हमें यही सुदृढ़ अर्थ व्यवस्था प्राप्त हुई है।

भुगतान शेष के बारे में, "विशाल आर्थिक असन्तुलन ने स्पष्ट रूप से भुगतान शेष पर भी विपरीत प्रभाव डाला है। 1988—89 तक भुगतान शेष पर भारी दबाव था और विदेशी मुद्रा के भण्डार में काफी कमी अनुभव हो रही थी। वास्तव में, विदेशी मुद्रा के भण्डार में काफी कमी हुई होती यदि विस्तृत ऋण योजनाओं तथा व्यापारिक ऋणों द्वारा सहारा नहीं दिया गया होता।"

मैं उसी प्रलेख को पढ़ना चाहता हूं, आप कृपया मेरी बात सुनिये।

श्री जर्नादन पुजारी : क्या यह कोई नई बात है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी, हां, यही तो एक नई बात है।

श्री जनार्दन पुजारी : जब आप सरकार में थे तब भी वही बात थी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह वही बात नहीं थी। **(व्यवधान)**

ऋण प्रभार अनुपात यह नहीं था। पुजारी जी मेरे सहयोगी थे।

श्री जर्नादन पुजारी : इसीलिए मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं। (व्यवधान)। सभापति महोदया, जब वे वित्त मंत्री थे, तो इस सभा के भीतर तथा दूसरी सभा में भी ये यह बताते रहे थे कि "हम कभी भी चूककर्ता नहीं रहे हैं, हमारी विश्वसनीयता बहुत अधिक है।" उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया था। यह पहली बार नहीं हो रहा है। वे हमारे नेता की दिनों-दिन प्रशंसा करते रहे हैं; आज वे इतनी बातें बना रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, श्री राजीव गांधी ने एक अच्छा काम यह किया था कि उनको वित्त मंत्रालय से हटा दिया था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदया, मैं यह नहीं कह रहा हूं; यह तो विपक्ष के नेता, जब वे सत्ता में थे, द्वारा नियुक्त आर्थिक सलाहकार परिषद कह रही है। इसने क्या कहा है :—

"अतएव, यद्यपि भारत पर विदेशी ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है और ऋण प्रभार की गंभीर चिन्ता पैदा हो गई है, फिर भी, स्थिति ऐसी नहीं है। जिससे देश की ऋणशोध क्षमता अथवा साख को तुरन्त कोई खतरा हो।" इसके बारे में यही सब है।

> "वास्तविक समस्या यह है कि ऋण-प्रभार ने विकास के मोर्चे पर तथा विकास की नीतियों के चयन के सम्बन्ध में तिकड़बाजी की गुंजाइश को काफी हद तक कम कर दिया है।"

हमारे पास कोई तिकड़मबाजी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि खजाना खाली पड़ा है। इसमें कोई तिकड़बाजी नहीं है और यह उनके द्वारा नियुक्त की गयी संस्था है। एक बड़ी बात यह है कि विपक्ष के नेता आंकड़ों के बारे में—मैं नहीं जानता—उनमें रिकार्ड में आई हुई बात के बारे में इस सभा को बताने का साहस होना चाहिए क्योंकि अन्यथा कोई बात **(व्यवधान)**।

कृषि उत्पादन के बारे में, उन्होंने इसके कार्यनिष्पादन की प्रशंसा की है किन्तु दस्तावेज में कहा गया है :

> "चालू दशक के दौरान कुल आर्थिक विकास का रिकार्ड काफी अच्छा रहा है तथा स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पादन 1987-88 तक प्रति वर्ष औसतन 5 प्रतिशत रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर कृषि में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।"

यह विकास की गति है। आपकी और मेरी समझ में यही अन्तर है। कृषि क्षेत्र में केवल 2 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि अन्य क्षेत्रों में यह वृद्धि 5 प्रतिशत है। हमें इसी क्षेत्र की चिन्ता है। यह वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के बराबर है। कृषि में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद शून्य है, यही

वह मु ा है। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : क्या कृषि उत्पादन 2 प्रतिशत था ? तो इसमें बहुत बड़ी गलती हुई लगती है। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह मूल्य वृद्धि पर आधारित उत्पादन में वृद्धि है जोकि 2 प्रतिशत है। (व्यवधान)

वे यह बात नहीं समझते। यह इसी से सम्बन्धित है। यह मूल्य-वृद्धि पर आधारित सकल घरेलू उत्पादन है। यदि यह वृद्धि जनसंख्या में हुई वृद्धि की दर के समान है, प्रति व्यक्ति वृद्धि कुछ भी नहीं हुई। ऐसा कहा जा सकता है :

> "दूसरी ओर सकल कृषि उत्पादन जैसाकि ऊपर बताया गया है, कृषि में मूल्य वृद्धि के आधार पर अलग है। जिसमें छठी योजना अवधि के दौरान प्रति वर्ष 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी सातवीं योजना के पहले चार वर्षों में कम होकर प्रति वर्ष चार प्रतिशत से कुछ अधिक रह गई।"

इसमें कमी आई है। अब हम यह देखते हैं कि उन्होंने यह लक्ष्य कैसे प्राप्त किया। कुल योग प्रतिशत वृद्धि नहीं है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं नियम 355 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं जिसमें कहा गया है :

> "जब चर्चा के दौरान में स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य पर्याप्त कारण से किसी सदस्य को उस समय सभा के विचाराधीन किसी विषय पर किसी अन्य सदस्य से कोई प्रश्न पूछना हो तो वह अध्यक्ष की मार्फत प्रश्न पूछेगा।"

अब मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछ रहा हूं...

सभापति महोदय : इस नियम में यह भी कहा गया है, बशर्तें अध्यक्ष सहमत हों।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं कह रहा हूं आप कृपया बैठ जाइए। आपका व्यवस्था का प्रश्न सही नहीं है यह अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। प्रधान मंत्री अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उन्होंने लक्ष्य को इस प्रकार प्राप्त किया है।

श्री राजीव गांधी : महोदय, क्या मैं उसी भाग को आपको पढ़कर सुनाऊंगा ? (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : तीन घंटे तक बोलने के बाद भी क्या अभी भी कुछ बोलना बाकी रह गया है ?

[हिन्दी]

श्री राजीव गांधी : जगलरी दिखा रहा हूं, आपको।

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

श्री राजीव गांधी : इस दस्तावेज में कृषि उत्पादन 20 प्रतिशत बताई गई है न कि 2 प्रतिशत।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं भी उसी दस्तावेज का हवाला दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : कृपया पैरा 4 पढ़िए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने इसे पढ़ा है। (व्यवधान)

पहले सातवीं योजना के लिए 178-183 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया था। मध्य-अवधि पुनरीक्षा में इसे कम करके 175 मिलियन टन कर दिया गया था। इस प्रकार पिछली सरकार ने अपने लक्ष्य को कम किया और फिर उसे प्राप्त किया।

श्री वसन्त साठे : मैं निदेश 115 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। यह बात ठीक नहीं है। मैं बार-बार यह कहता रहा हूं कि इस महत्वपूर्ण मामले पर सदन को गलत सूचना नहीं दी जानी चाहिए। वे इस दस्तावेज से पढ़ रहे हैं। मैं इस दस्तावेज के पैरा 4 का उल्लेख करना चाहता हूं। (व्यवधान) कृपया मुझे इसकी अनुमति दीजिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : साठे जी, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? अध्यक्ष के निदेश 115 में यह कहा गया है :

> "कोई सदस्य जो किसी मंत्री या अन्य सदस्य द्वारा दिए गए वक्तव्य में किसी भूल या अशुद्धि की ओर ध्यान दिलाना चाहे, सभा में उस विषय विषय का उल्लेख करने से पूर्व, अध्यक्ष को भूल या अशुद्धि का ब्यौरा लिखेगा और उस विषय को सभा में उठाने के लिए उसकी अनुमति मांगेगा।"

नियम तो यह है। इसलिए, इसमें व्यवस्था के प्रश्न वाली कोई बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वे आपके विनिर्णय को चुनौती दे रहे हैं?

श्री वसन्त साठे : मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं।

सभापति महोदय : साठे जी, इसके लिए भी अध्यक्ष की अनुमति की जरूरत है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : साठे जी, क्या मैं यह मान लूं कि यह नियम गलत है?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह तो कोई तरीका नहीं हुआ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब प्रधान मंत्री जी ने अपना भाषण समाप्त कर दिया है। अब आप में से कोई एक मेरी अनुमति लेकर बोल सकता है। आप सभी ऐसा नहीं कर सकते। हां, तो मि० साठे आप बोलें।

श्री वसन्त साठे : मैं पैरा 4 से पढ़ रहा हूं :

"वर्ष 1988-89 में, अर्थ-व्यवस्था में तेजी आई है···" (व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, अब बहुत देर हो चुकी है। क्या आप सभी अपने अपने स्थानों पर बैठेंगे ? शांति हो जाइए और एक-एक करके बोलिए।

(व्यवधान)

9.00 म० प०

श्री वसंत साठे : महोदया आपको उन पर नियंत्रण रखना होगा। (व्यवधान)।

सभापति महोदय : अब आप चिल्ला क्यों रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री वसंत साठे : मैं वर्तमान आर्थिक स्थिति पर आर्थिक सलाहकार परिषद के उसी प्रतिवेदन को पढ़ रहा हूं जिसका प्रधान मंत्री ने उल्लेख किया था। पृष्ठ 1 पैरा 4 में कहा गया है :

> "वर्ष 1988-89 में अर्थव्यवस्था में पिछले वर्ष पूरे देश में सूखे से गिरावट के बाद काफी उछाल आया। सकल घरेलू उत्पादन में 9 प्रतिशत या वास्तविक में और अधिक की वृद्धि हुई है, कृषि उत्पादन में 20 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि हुई है और औद्योगिक उत्पादन में 8.8 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि हुई है। इस वर्ष यद्यपि मानसून की बारिश सामान्य रही है ऐसी सम्भावना नहीं है कि कृषि उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से ज्यादा होगा।"

इसलिए यह देखा जा सकता है कि कृषि उत्पादन में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है···(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया कोई व्यवधान न डालें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और मैं इसलिए अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि वे भी उनके साथ सहानुभूति बरतें क्योंकि इस अपमानजनक हार को सहना उनके लिए संभव नहीं है···(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाएं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वे सहयोग करें। काफी रात हो गयी है। जब प्रधानमंत्री बोलें तो दोनों पक्षों को सहयोग करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं समझा कि माननीय श्री वसंत साठे जी इससे बेहतर कर सकते थे और उन्होंने इस तथ्य को सामने लाया है कि कृषि उत्पाद एक वर्ष में 20 प्रतिशत बढ़ा। कब ? सूखा पड़ने के बाद के वर्ष में। अगर सूखा और भयंकर होता तो उत्पादन में शत-प्रतिशत वृद्धि हुई होती···(व्यवधान)

मैं आंकड़ों और सांख्यिकी में इस सभा का ज्यादा समय नहीं लूंगा ··(व्यवधान)। संक्षेप में बात यह है कि हम भी कृषि क्षेत्र के लिए ज्यादा चिंतित हैं···(व्यवधान) भारत की जनसंख्या का 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और यह सत्य है कि हम इसके बारे में चिंतित हैं आप नहीं। हमारे दृष्टिकोण में यह अंतर है। इसी क्षेत्र में निरन्तर गरीबी रही है। इस क्षेत्र की

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

72 प्रतिशत जनसंख्या है। इस क्षेत्र में श्रमिक बढ़ रहे हैं। इसलिए रोजगार मेरा मुख्य विषय होगा। और हमारे विकास का केन्द्र बिन्दू होगा, सिर्फ विकास ही नहीं, बल्कि यह विकास कहां तक पहुंचेगा। समानता हमारे विकास का केन्द्र बिन्दू होगा न कि सिर्फ विकास। हमने देखा है कि जिस क्षेत्र में जितनी घनी आबादी होती है उसमें उतना ज्यादा गरीबी होती है। हमारी नीति, इन घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाना होगा। इस कृषि विकास से एक भिन्न प्रकार का औद्योगिक विकास भी होगा। कृषि को पुनः सही दिशा देने से उद्योग को भी सही दिशा मिलेगी। **(व्यवधान)** कृपया चुप रहिए। यह एक गम्भीर मामला है और मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं। विशिष्ट व्यक्तियों के उपभोग की वर्तमान नीति में स्थायी उपभोक्ता वस्तु की मांग है। हमारे सभी संसाधनों के प्रयोग के लिए पर्याप्त बाजार है।

जब हम कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करते हैं और उत्पादन बढ़ाते हैं तो उस क्षेत्र के लोगों की क्रयशक्ति भी बढ़ेगी। परन्तु उनकी मांग विशिष्ट जनों की मांग से भिन्न होगी। उनकी मांग उपभोक्ता वस्तुओं के लिए होगी। मांग पैदा करने पर उद्योग फले-फूलेंगे। यह हमारी नीति होगी और यह हमारे दृष्टिकोण में आधारभूत अंतर है, इससे न सिर्फ उद्योग का पुनर्निर्माण होगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही कृषि के अलावा रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और शहर की ओर बढ़ने वाले दबाव तथा कृषि पर निर्भरता का दबाव कम होगा। यह कृषि तथा औद्योगिक विकास के हमारे दृष्टिकोण का आधारभूत अंतर है।

विपक्ष के नेता ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के बारे में प्रश्न किए हैं। मैंने पहले ही कहा है कि इन अनुपूरक मांगों को क्यों ला रहे हैं। मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अनेकों बार हमारे रक्षा बजट को पड़ोसियों के रक्षा बजट के अनुसार बनाना पड़ता है और हम देश की सुरक्षा के मामले में समझौता नहीं कर सकते। परन्तु मैं यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अभी क्या कमी है। मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता मेरे विचार से सहमत होंगे। रक्षा के मामले में मैं दलगत भेद नहीं रखता और उन्होंने इसे नोट किया होगा। यह राष्ट्रीय समस्या है। परन्तु रक्षा मामलों पर कोई दीर्घावधि नीति योजना नहीं है। मंत्री बदलते हैं, अधिकारी बदलते हैं, सेनाध्यक्ष बदलते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ऐसा प्रतिदिन किया जाता है। परन्तु हम महसूस करते हैं कि रक्षा नीति पर कुछ स्थाई राष्ट्रीय विचारधारा होनी चाहिए। सुरक्षा सिर्फ अस्त्र प्रणाली का ही प्रश्न नहीं है। निःसंदेह इसकी आवश्यकता है इसके लिए रक्षा तैयारी होनी चाहिए परन्तु इसके साथ विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय, तथा औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक उपाय भी साथ-साथ किए जाने चाहिएं। अब सुरक्षा और तस्करी भी सुरक्षा खतरे से जुड़ गई हैं और अन्य एजेंसियां भी इसमें शामिल हो गई हैं। एक पूर्ण मत तथा हमारे देश की सुरक्षा के लिए स्थायी आधार बनाने के लिए यह सरकार एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाने जा रही है। हम इसे बजट के पहले लाएंगे।

एक माननीय सदस्य : हम इसका इंतजार कर रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : और परमाणु ऊर्जा के बारे में हमारी प्रतिक्रियाओं के बारे में पाकिस्तान को यह सिद्ध करना है कि वह परमाणु बम बनाने जा रही है अथवा नहीं परन्तु हम

परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उस मार्ग पर चल रहे हैं परन्तु यदि पाकिस्तान परमाणु बम बनाता है तो मैं समझता हूं कि इसका हमारी रक्षा नीति तथा सुरक्षा नीति पर काफी प्रभाव पड़ेगा और हमें पुनः सोचना होगा।

श्री राजीव गांधी : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जब वे बोल रहे थे तो मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा था।

श्री राजीव गांधी : यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में कहा है। इसे इतना हलका नहीं लेना चाहिए मैं कोई बेकार का प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। क्या मैं यह समझूं कि आपके मन में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में कुछ शंका है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदया, मैं एक सुझाव दूंगा। इसमें न्याय और औचित्य की बात है। मैंने तो तीन घंटे कोई प्रश्न नहीं पूछा। मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता इस प्रश्न की नाजुकता को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। पाकिस्तान को अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करनी है कि वह परमाणु बम नहीं बना रहा है।

एक माननीय सदस्य : आपके विचार क्या हैं ? (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं।

अग्नि तथा हमारे प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के बारे में कोई समस्या नहीं है। यथाशक्ति मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

एक माननीय सदस्य : आपने अपनी आंखें बन्द कर ली हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम अपनी आंखें बन्द नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं आप मेरी भाषा नहीं समझे। हमारे प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के बारे में मेरा विचार है कि हमें कोई देश आदेश नहीं दे सकता है। इस देश की सुरक्षा के हित में जो कुछ भी करने की जरूरत होगी वही किया जायेगा।

श्री राजीव गांधी : आप इस बात को कुछ और स्पष्ट करो।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं क्रियाशीलता के बिना कुछ नहीं कहता हूं। यही अन्तर है। जब मैं कुछ विचार करता हूं तभी कार्य करता हूं। मैंने यह कहा है।

श्री राजीव गांधी : लेकिन सुस्पष्ट रूप से नहीं कहा है। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नहीं। हम अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को आगे बढ़ायेंगे। आप क्या चाहते हैं ? क्या अग्नि का कार्य पूरा हो गया है ?

[हिन्दी]

आग खत्म हो गई। (व्यवधान)

[अनुवाद]

हमें अपने भूतपूर्व सैनिकों को भूलना चाहिए। (व्यवधान)

कृपया शोर न करें। (व्यवधान)

सभापति महोदया, **मैं आपसे अनुरोध करता हूं।** यह कोई तरीका नहीं है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, यदि आप इसी तरह से चिल्लाते रहे तो आप सब का गला सूख जाएगा। इसलिए, मैं आप सब से अनुरोध करती हूं कि आप चिल्लायें नहीं ताकि आपका गला न सूख जाए।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कृपया बेचैन न हों। **(व्यवधान)** उनको वैसा ही संयम बरतना चाहिए जैसा हमने तीन घंटे तक उनके व्यंग बाण को सहते हुए बरता था।

हमें अपने भूतपूर्व सैनिकों को भूलना चाहिए तथा हम एक पद एक पेंशन के अपने वादे को पूरा करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है।

जसवंत सिंह जी ने बोफोर्स के बारे में बहुत से प्रश्न उठाये तथा उन्होंने इस बारे में बहुत से सुझाव दिए कि हमें क्या करना चाहिए, स्वीडन सरकार तथा स्विट्जरलैंड से सभी जानकारी प्राप्त करने हेतु औपचारिक अनुरोध करने के लिए क्या करना चाहिए तथा इसी प्रकार के बहुत से सुझाव दिए हैं। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारे लिए कोई भी विकल्प बन्द नहीं है तथा हमने कड़ी कार्यवाही की है तथा हमने बोफोर्स को तब तक और कोई ठेका देने के अयोग्य ठहरा दिया है जब तक वह 155 मि०मी० तोपों के बारे में अपने व्यवहार को स्पष्ट नहीं कर दे तथा जिसमें भुगतान पाने वालों के नाम बताना तथा धन लौटाना शामिल है। **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : महोदया, मैं केवल यह कहना चाहता हूं··· **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उन्होंने बोफोर्स का एक बार भी उल्लेख नहीं किया है। इसलिए मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा हूं **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं···**(व्यवधान)**। हम चाहते हैं आप उस आदमी का पता लगायें जिसने कमीशन लिया है क्योंकि जब आप उस आदमी का पता लगा लेंगे तो वे सभी आरोप जो आपने इन वर्षों के दौरान लगाये हैं। झूठे सिद्ध हो जायेंगे **(व्यवधान)**।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : श्री जसवन्त सिंह ने पूछा है कि क्या भूतपूर्व महान्यायवादी अथवा उसके कार्यालय ने बोफोर्स के मामले में कोई सलाह दी थी। महान्यायवादी ने एक कानूनी सलाह दी थी—मुझे उनके कार्यालय से कहा गया है—तथा इस संबंध म यह उसकी एक प्रति है।

ठेका करने से पहले ए० बी० बोफोर्स को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी गयी थी कि भारत सरकार उस फर्म को अयोग्य करार देगी यदि सरकार को यह पता चला कि किसी विदेशी फर्म ने अपना एजेंट नियुक्त किया है; कि भारत सरकार ने इस शर्त पर जोर दिया था तथा ए०बी० बोफोर्स इस पर सहमत थी। यह बात उनके पत्राचार से स्पष्ट हो जाती है। इसलिए यदि ए० बी० बोफोर्स ने मौजूदा मामले में किसी भारतीय एजेंट की सेवायें ली है तो ऐसा करना ठेके की पूर्व शर्तों के विपरीत है तथा भारत सरकार के सामने यह विकल्प है कि या तो वह उनको शर्त भंग करने वाला माने और उन पर नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए दावा करे अथवा ठेके को चालू रखे तथा उन पर आश्वासन भंग करने के लिए दावा करे **(व्यवधान)**। महान्यायवादी ने काफी समय पूर्व 4 जुलाई, 1987 को यह सलाह दी थी तथा सरकार को इस सलाह की जानकारी थी

तथा सरकार उसी समय कार्यवाही कर सकती थी। यह सलाह बिल्कुल स्पष्ट थी। महान्यायवादी ने यह सलाह दी कि ए० बी० बोफोर्स ने ठेके की शर्तों को भंग किया है तथा सरकार कार्रवाही कर सकती है। लेकिन अगले पैरे में क्या होता है?

प्रधानमंत्री द्वारा दी गई टिप्पणियों, आदि पर महान्यायवादी विचार करता है; फिर इस पर कानूनी रूप से विचार किया जाता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कृपया पढ़कर सुनाइये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं सब कुछ पढ़कर सुनाऊंगा। जैसा आपने तीन घंटे तक सब कुछ पढ़ा, मैं भी पढ़कर सुनाऊंगा।

मैं जानता हूं कि ठेका रद्द किया जाना चाहिए अथवा नहीं इसका निश्चय केवल कानूनी सोच-विचार पर ही नहीं बल्कि इस मामले के राजनैतिक स्वरूप ले लेने की दृष्टि से राजनैतिक सोच-विचार—कानूनी सलाह दी जाती है इसलिए ऐसा किया जा सकता है—पर भी किया जाना था ··(व्यवधान) मुझे याद है कि यह बात महान्यायवादी, के दिमाग में आयी थी जिसने एक पेशेवर व्यक्ति के रूप में अपनी सलाह पहले ही दे दी थीं। मुझे याद आता है कि समाचार पत्रों में एक वक्तव्य, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया बताया गया था, प्रकाशित हुआ था कि उनका ठेका रद्द करने तथा सेना को तोपों से वंचित करने का इरादा नहीं हैं।···(व्यवधान)।

श्री राजीव गांधी : मेरा विचार है कि आप एकदम बेजा बात कह रहे हैं। यदि आप मेरी टिप्पणियां पढ़ें तो आप पायेंगे कि मेरी टिप्पणियां सुस्पष्टतया सुरक्षा के दृष्टिकोण तथा ठेका रद्द करने की लागत के बारे में हैं। लगभग 7-8 मुद्दे बनाए गए हैं। यह रिकार्ड अभी तक आपके कार्यालय में मौजूद है। वह मेरे पास उपलब्ध नहीं है। कृपया मेरी टिप्पणियों को इस सभा में पढ़कर सुनायें (व्यवधान)।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां, मैं उनको पढ़ूंगा। मैं कल आपकी टिप्पणियों सहित एक विस्तृत वक्तव्य दूंगा।

श्री रंगाराजन कुमार मंगलम : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं अध्यक्ष पीठ को यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि बोलते समय समाचार-पत्रों की खबरों का उल्लेख करना शिष्टाचार और नियमों के विरुद्ध है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : विपक्ष के नेता न केवल समाचार-पत्रों की खबरों का उल्लेख कर रहे थे बल्कि वे समाचार-पत्रों पर व्यंग भी कर रहे थे। सारी सभा इसकी साक्षी है ·· (व्यवधान)

मैं जसवन्त सिंह जी द्वारा उठाए गए एक विशेष प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। उन्होंने एक विशेष प्रश्न पूछा हैं : क्या महान्यायवादी ने कोई सलाह दी थी? मैं उनके इसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। निष्कर्ष रूप में वह इस प्रकार कहते हैं :

"मैं यह सूचित करता हूं कि उपरोक्त विषय में निर्णय लेते सरकार निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करे :

(1) पृष्ठ 45 में ठेके की धारा (1) में यह सुस्पष्ट रूप से अनुबंध किया गया है कि यह

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

ठेका भारत के कानूनों के अनुसार विनियमित और परिभाषित किया जाएगा। चूंकि बोफोर्स पूर्व शर्त के रूप में भारत सरकार के आग्रह को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर चुकी है कि वह ठेका प्राप्त करने के लिए बिचौलियों का प्रयोग नहीं करेगी, इस पूर्व शर्त को ठेका आरम्भ होते ही कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। इस पूर्व शर्त की, यद्यपि इस शर्त को सुस्पष्ट रूप से ठेके में लिखा नहीं गया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा-92 के अनुबंध (2) और (3) के अंतर्गत जांच की जा सकती है।" (**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे : मैं नियम 368 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री कौन सा दस्तावेज पढ़ रहे हैं क्योंकि यदि आप नियम देखें तो उसमें यह कहा गया है :

"यदि कोई मंत्री सभा में किसी ऐसे प्रेषण-पत्र या अन्य राज-पत्र को उद्धृत करे जो सभा के समक्ष नहीं रखा गया हो, तो वह संगत पत्र को पटल पर रखेगा :

परन्तु यह नियम ऐसे किसी दस्तावेज पर लागू नहीं होगा जिसे मंत्री ऐसे स्वरूप का बताएं कि उसका पेश किया जाना लोकहित के प्रतिकूल होगा :

परन्तु यह और भी कि जब मंत्री ऐसे प्रेषण-पत्र या राज-पत्र का अपने शब्दों में संक्षेप या सारांश बता दे तो संगत पत्रों को पटल पर रखना आवश्यक नहीं होगा।"

नियम 369 "पटल पर रखा गया पत्र या दस्तावेज, उसे उपस्थित करने वाले सदस्य द्वारा उचित प्रकार से प्रमाणित किया जाएगा।"

मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री महोदय क्या पढ़ रहे हैं। यदि वह उन दस्तावेजों को पढ़ रहे हैं जो सरकारी फाइलों से आपके पास मौजूद हैं तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि आप उन्हें सभा पटल पर रखें।

श्री राजीव गांधी : मैं भी प्रधानमंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह बोफोर्स से संबंधित प्रधानमंत्री कार्यालय में उपलब्ध सभी दस्तावेजों को सभा पटल पर रखें···(**व्यवधान**)।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं जो दस्तावेज पढ़ रहा हूं वह इसका हिस्सा है (**व्यवधान**)।

सभापति महोदय : मैंने विपक्ष के नेता तथा श्री वसन्त साठे दोनों को ही अपने-अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी थी और तत्पश्चात् प्रधान मंत्री महोदय उत्तर दे रहे थे। औचित्य यही है कि आप उत्तर को सुने। अतएव आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।

(**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह दस्तावेज रक्षा मंत्रालय की फाईल का एक हिस्सा है जिस पर महालेखा परीक्षक ने अपनी राय दे दी है। जैसाकि मेरे अधिकारियों ने बताया है, यह राय महालेखा परीक्षक ने दी है और यह इस बात का हिस्सा है···(**व्यवधान**)।

श्री राजीव गांधी : महोदय, क्या आप प्रधानमंत्री कार्यालय की सभी फाइलें सभा पटल पर रखने को तैयार हैं? (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी कहने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : क्या कृपया आप नियम 368 के अन्तर्गत इन्हें सभा पटल पर रखेंगे अथवा नहीं ?···(व्यवधान) ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदया, प्रश्न पूछने के बाद मुझे जवाब देने का मौका मिलना चाहिए । (व्यवधान)

सभापति महोदय : उनसे सवाल पूछे गए हैं अब वह उन सवालों का जवाब दे रहे हैं···।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां, मैं दस्तावेजों को सभापटल पर रखने के लिए तैयार हूं । जहां तक विपक्ष के नेता की बात का सम्बन्ध है प्रधान मंत्री के सभी नोट···(व्यवधान) ।

श्री राजीव गांधी : प्रधानमंत्री कार्यालय की सभी फाइलें, केवल नोट ही नहीं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ठीक है । समस्या यह होगी···(व्यवधान) मुझसे प्रश्न पूछा गया है परन्तु उसके बाद उत्तर देने का मौका नहीं दिया गया है ।

09.27 म०प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, जहां तक इन फाइलों का सवाल है मैंने यह पाया कि एकत्र करके विभिन्न स्थानों पर वितरित कर दिया गया है । प्रधान सचिव को भी इन सब फाइलों की जानकारी नहीं हैं । कुछ फाइलें किसी व्यक्ति के पास हैं और कुछ फाइलें किसी व्यक्ति के पास हैं । इसी कारण से सभी फाइलों को एकत्र करने तथा सही तस्वीर सामने लाने में समय लगा है···(व्यवधान) ।

श्री राजीव गांधी : हमारे पास एक भी फाइल नहीं है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे पता है कि आपके पास क्या है । यदि आप यह बताने में हमारी मदद करें कि आपने ये सब फाइलें कहां रखी हैं तो हमारे लिए उन्हें एकत्र करना आसान रहेगा ।

महालेखा परीक्षक ने कहा है : "ऐसा पूर्व दृष्टान्त जिसे यद्यपि इस संविदा में स्पष्ट रूप से व्यक्त न किया गया हो, को साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 की उपधारा 2 और 3 के अन्तर्गत सिद्ध किया जा सकता है । (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : महोदय, आपने विनिर्णय नहीं दिया है । मेरे माननीय मित्र प्रधान मंत्री महोदय ने अभी तक यह नहीं बताया है कि क्या वह नियम 368, 369 और 370 के अन्तर्गत उस दस्तावेज को सभा पटल पर रखेंगे जिसका वे उल्लेख कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही ऐसा कह चुके हैं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां, मैं रखूंगा। "जब यह बात स्पष्टतः समझ ली गयी है।" "दोनों पक्षों के बीच" महालेखापरीक्षक है। बोफोर्स को विशेषकर रक्षा क्षेत्र में यह दावा करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है वह कि कम्पनी को अत्यधिक महत्वपूर्ण विषयों पर गोपनीयता बनायें रखनी है। यदि यह दलील मान ली गई तो वे भारत सरकार के साथ हुए उनके समझौते की इस पूर्व शर्त कि कोई बिचौलिया नहीं होगा का उल्लंघन कर सकते हैं। वे इस समझौते का प्रतिवाद करते हुए बिचौलिए के साथ यह समझौता कर सकते हैं और गोपनीयता के मिथ्या तर्क के आधार पर विस्तृत जानकारी देने से मना कर सकते हैं। यह सही स्थिति नहीं हो सकती है क्योंकि यदि मामला मध्यस्थ या न्यायायल के पास जाता है तो भारतीय कानूनों के अन्तर्गत वे तथाकथित बिचौलियों तथा उनको दी गई धनराशि के बारे में ब्यौरा देने के लिए बाध्य होंगे। सिद्ध करने का दायित्व उन पर होगा क्योंकि उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी है। अगर उनके वर्तमान आधार को मान लिया जाए तो वे उनके लिए इस शर्त का कोई मतलब नहीं रहेगा कि वे बिचौलियों को रख सकते हैं व उनको दलाली का भुगतान कर सकते हैं तथा गोपनीयता के आधार पर नाम भी नहीं बता सकते हैं। ठीक उसी तरह वे यह दावा करते हैं कि गोपनीयता के प्रश्न पर बिचौलिए के साथ की गई संविधा का पालन करना उनका कर्त्तव्य है और ठीक उसी कारण से भारत सरकार के साथ हुए बिचौलिए न रखने की सविंदा का पालन करना भी उनका कर्त्तव्य है। चूंकि भारतीय संविदा के संदर्भ में दलाली दिए जाने के आरोप लगाए गए हैं अतएव, उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वे भारत सरकार को उसका ब्यौरा प्रस्तुत करें। भारतीय संविदा के लिए बातचीत के समय यदि वे बिचौलियों के साथ पहले ही संविदा कर चुके थे जिनके लिए वे यह दावा करते हैं कि मुआवजे का भुगतान करके अब मामले को रफा दफा कर देना चाहिए तो उनका यह कर्त्तव्य बन गया था कि वे भारत सरकार को उस समय यह बता देते, जिस समय संविदा की गई थी, विशेषकर उस समय जब भारत सरकार ने यह शर्त रखी थी कि इस मामले में कोई बिचौलिया नहीं होगा।

बोफोर्स ने 10.3.1986, जोकि दोनों पार्टियों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से पहले की तारीख थी को लिखित रूप में यह पुष्टि कर दी थी कि इस परियोजना में उनके विशेषकर भारत में कोई बिचोलिए नहीं हैं तथा यह कि वे स्थानीय कम्पनी ए०बी० कारपोरेशन का इस्तेमाल केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए कर रहे हैं। उन्होंने 26-4-1987 को भेजे गए एक टेलेक्स द्वारा यह पुष्टि की है कि इस प्रशासनिक कार्य के लिए उन्होंने यह शर्त निर्धारित की थी कि वे उन्हें जनवरी, 1986 से प्रति माह एक लाख रुपए का भुगतान करेंगे। उस संविदा के संबंध में यह बात स्वीकार करने के बाद कि प्रति माह एक लाख रुपए का भुगतान करने संबन्धी समझौते के अलावा और कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अतः कथित एजेंसी या समझौते को समाप्त करने के लिए तर्क संगत रूप से कोई दूसरा भुगतान नहीं हो सकता है क्योंकि एक लाख के भुगतान पर अनुरक्षण संविदा के अलावा भारत सरकार को ऐसी कोई बात बताई नहीं गई है। यही सब बात है। मैं पूरी बात पढ़ कर सुना सकता हूं।

श्री राजीव गांधी : क्या ऐसा कोई पृथक टिप्पण नहीं है जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से यह पूछा है कि संविदा को रद्द करने पर कितनी लागत आएगी, उस समय धन की सुरक्षा की स्थिति के देखते हुए जमानत की राशि कितनी थी, जो पैसा हम भुगतान कर चुके हैं उसकी हानि के

रूप में लागत होने की यदि संविदा रद्द किया गया तो, तथा बदले में हम जो नया हथियार लायेंगे उसकी क्या लागत होगी ? और यदि आप उस टिप्पण पर दृष्टिपात करें तो आपको पता चलेगा कि उसकी लागत उस 64 करोड़ रुपये से कहीं अधिक होगी जो आप वापस ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मेरे पास सुन्दरजी का पत्र भी है, मैं उसे भी पढ़ सकता हूं।

श्री राजीव गांधी : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी फाइलों को सभा पटल पर रखें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इनको कल लाऊंगा। मैं इन्हें सभापटल पर कल रखूंगा। कल ही, और अधिक देरी नहीं होगी। (व्यवधान)

अब विदेशी दबाव की बात बहुत हो चुकी है तथा 301 का सवाल उठाया गया है। अप्रैल 1989 में जेनेवा में भारत सरकार बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों के बारे में नये नियमों एवं मानदण्ड बनाने के बारे में बातचीत करने के लिए सहमत हो गई थी। बावजूद इसके कि भारतीय पेटेंट कानून को बदलने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था। यह पिछली सरकार ने हमारे कानूनों को ऐसा संरक्षण दिया है।

(व्यवधान)

मुझे पता है कि यह बात माननीय दिनेश जी के लिए कष्टप्रद है।

जेनेवा में भारत सरकार इसे छोड़ने के लिए सहमत थी···(व्यवधान)

कृपया उसी पक्ष की ओर से शोरगुल होने दीजिए अन्यथा कार्य और अधिक मुश्किल होगा।

जेनेवा में भारत सरकार विकास और तकनीकी उद्देश्यों तथा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार की रक्षा करने की आवश्यकता को संतुलित करने के विचार को छोड़ देने के लिए सहमत हो गई थी। जेनेवा में भारत सरकार बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार के बारे में विपो (डब्लू० आई० पी० ओ०) तथा 'अंकटाक' के अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर जिनके अधिकार क्षेत्र में यह मामला आता है पर चर्चा नहीं करने के लिए सहमत हो गई थी। और मुझे याद है कि जब भी इन सेवाओं तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में यह विचार आया तो मैंने यही दृष्टिकोण अपनाया था। इन सेवाओं के सम्बन्ध में विपो तथा अंकटाड आदि का उल्लेख करते समय मेंने "गैट" (सामान्य व्यापार एवं टेरिफ समझौते) को छोड़ दिया। इस प्रकार भारत अप्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों को केवल 'गैट' में चर्चा करने के लिए सहमत होना पड़ा है। यही इसका परिणाम रहा है और मैं समझता हूं कि आधार भूत राष्ट्रीय हितों को छोड़ा गया है।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री ने···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी समस्या क्या है ?

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : महोदय मेरा कहना यह है कि माननीय प्रधानमंत्री तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश कर रहे हैं और यह कहते हुए मुझे अत्यधिक खेद है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वह जेनेवा सम्मेलन में आयोग के समक्ष हमारे प्रतिनिधि द्वारा दिए गए वक्तव्य को पढ़े तब उन्हें पता चलेगा कि (डब्लू०आई०पी०ओ०) के सम्बन्ध में न केवल हमारी अपितु दूसरों की स्थिति की ही रक्षा की गई अपितु यह भी एकदम स्पष्ट कर दिया गया था कि विकासशील देशों के विकासोन्मुख पहलुओं को भी बौद्धिक सम्पत्ति से सम्बन्धित चर्चा करते समय ध्यान में रखा जाएगा। वास्तव में पेंटा डेल स्टेट में उनके कार्य निष्पादन पर हमारे नेता ने उनको साधुवाद दिया था, यह कहकर उनकी बात का खंडन करने पर मुझे खेद है कि पेंटा डेल स्टेट में यही हमारे दल के नेता थे जो इन चर्चाओं में बौद्धिक सम्पत्ति को शामिल करने के लिए सहमत हो गए थे जब उन्होंने सेवाओं को पृथक मंच पर रखा था तो उस समय उन्हें बौद्धिक सम्पत्ति को भी पृथक मंच पर रखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इसे पृथक मंच पर नहीं रखा। तथा यह अनिवार्य बना दिया कि सामान्य प्रक्रियाओं के अन्तर्गत इस पर चर्चा भी उरूग्वे में ही हो। उन्होंने ही इसका अवमूल्यन करवाया था, हमारे नेता ने नहीं (**व्यवधान**)।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि मैं इस मामले पर दस्तावेजों का हवाला दूं तो वस्तुतः श्री एल०के० झा ने, जो कि यहां नहीं हैं और जो आर्थिक सलाहाकार थे उन्होंने यह दलील दी थी कि वह इस कार्य को तेजी से करे तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के दृष्टिकोण से सहमत हों। इसी कारण हम इस दृष्टिकोण से बाहर नहीं निकल पाए तथा हमें यह शर्त माननी पड़ी कि···

श्री दिनेश सिंह : हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए थी (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जिन विकासपरक तथा तकनीकी उद्देश्यों तथा जन हित को छोड़ दिया गया था। उस पर अब ध्यान दिया जाएगा (**व्यवधान**)।

श्री दिनेश सिंह : सभा को गुमराह मत करिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : और अब दल की बात की जाए जिसके बारे में विपक्ष के नेता ने कहा था "पेंटा डेल स्टे में जिस दल ने बहुत अच्छा काम किया है तथा वहां उस दल के अधिकारियों पर मुझे गर्व है।" पर कृपया आप इस बात पर ध्यान दिलाएंगे कि इसके बाद इनका स्थानांतरण कहां किया गया? बाहरी दवाब के कारण उन्हें हटाया गया था क्योंकि उन्होंने दबाव का प्रतिरोध किया था। (**व्यवधान**) मैं उन बातों को यहां कहना नहीं चाहता। अब वह हबर्ड को सामने ले आए हैं। यह हबर्ड कौन है, मैं नहीं जानता। मुझे बताया गया कि वह भूतपूर्व राजदूत हैं तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में रहते हैं। मैंने कभी तक उनका चेहरा तक नहीं देखा है। मैं नहीं जानता कि वे और क्या क्या सामने लाने वाले हैं। परन्तु आप जानते हैं कि वह यह कह रहे थे कि पिछले प्रधानमंत्री इतनी बड़ी-बड़ी बातें चुनावी हथकण्डे के रूप में कर रहे थे। ठीक है···।

श्री राजीव गांधी : जो कुछ भी उन्होंने कहा था, क्या आपने उसका खण्डन किया?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है, मैंने पहले ही खण्डन कर दिया है। इसे मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम इसका प्रतिरोध करेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, क्या बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार के बारे में जो यह किया गया है क्या उसे यह सरकार ठीक नहीं कर सकती ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम इसका संरक्षण करने, इसकी रक्षा करने का, यथा संभव पूरा प्रयास करेंगे । जो उन्होंने किया है हम उसे ठीक करेंगे ।

पनामा के सम्बन्ध में हमने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है । हम उस पर दृढ़ हैं । परन्तु आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि जब विपक्ष के नेता सरकार में थे तथा उस समय लीबिया के हमले के सम्बन्ध में उन्होंने कड़ा रुख नहीं अपनाया और उन्होंने इसकी भर्त्सना नहीं की । क्या आपने "भर्त्सना" शब्द का प्रयोग किया ? उन्होंने ऐसा नहीं किया ।

श्री राजीव गांधी : हमने भर्त्सना की थी । हमने दिल्ली में गुट निरपेक्ष देशों की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में हमने बहुत कड़ा वक्तव्य दिया था । यह उसी दिन की बात है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जब ग्रेनाडा पर संयुक्त राज्य का हमला हुआ उस समय आपने किन शब्दों का प्रयोग किया था । आपने कहा था, "भारत इस पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करता है ।" यह मामला समाप्त हो गया तथा ग्रेनाडा का मामला भी अधर में पड़ गया । खेद प्रकट करने जैसे शब्द का भी प्रयोग नहीं किया गया तथा "गम्भीर भर्त्सना" का भी प्रयोग नहीं किया गया । कोई "भर्त्सना" नहीं हुई । अतः यहां बोल कर आप अपनी दूसरी छवि दर्शाने की कोशिश न करें ।

[हिन्दी]

श्री राजीव गांधी : लीबिया को भी पढ़िए ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वह भी पढ़ देंगे ज्यादा देर नहीं है । बहुत कुछ पढ़ेंगे ।

[अनुवाद]

अब विदेश नीति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । मैं एक-एक बात का उत्तर दूंगा क्योंकि हर बात यहां उठाई गई है—विदेश नीति, पंजाब, नेपाल तथा अन्य सब । मेरे पास 11 बजे तक का समय है ।

पनामा के सम्बन्ध में भी, संयुक्त राज्य अमरीका के आक्रमण की भर्त्सना करने वाले गुट-निरपेक्ष देशों में हम भी हैं ।

श्री राजीव गांधी : आपने जो रुख अपनाया है उसके बावजूद (व्यवधान) लीबिया के सम्बन्ध में दिए गए वक्तव्य के बारे में मैंने बहुत लम्बा स्पष्टीकरण दिया है कि ऐसा क्यों हुआ और क्या हुआ ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आपने इसकी भर्त्समा नहीं की ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : लीबिया कर अमरीका के आक्रमण की जोरदार भर्त्सना करने के कारण श्री बी० आर० भगत को हटा दिया गया ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उनको चुप कर दिया गया ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : लीबिया पर संयुक्त राज्य के हमले सम्बन्धी अपने वक्तव्य के कारण उन्हें अपना पद खोना पड़ा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उन्हें उस वक्तव्य की कीमत चुकानी पड़ी।

अब करीब एक घन्टे तक, मैं समझता हूं दो तिहाई समय की बजाय आधा समय विदेश नीति पर चर्चा में ही लग गया है। अब हम सब यह अच्छी तरह जानते है विदेश नीति दलगत दृष्टिकोण से नहीं चलाई जा सकती। और हम इस बात से सहमत होंगे क्योंकि विदेश नीति किसी दल विशेष की निजी सम्पत्ति नहीं है।

हमारी विदेश नीति हमारे स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम है। इसका आधार स्वतंत्रता आन्दोलन था। जी हां, जवाहर लाल नेहरू हमारी विदेश नीति के निर्माता थे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। हम सब इसे स्वीकारते हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। **(व्यवधान)**

मैं प्रतिपक्ष के नेता से अनुरोध करता हूं कि हम गम्भीर मसले पर चर्चा कर रहे हैं इसलिए इसमें बेकार की टिप्पणियों के लिए कोई स्थान नहीं।

विदेश नीति हमारे देश की भौगोलिक-राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित है। इसके पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और इसमें राष्ट्र की सहमति है। हमने जो गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाई है वह भी राष्ट्रीय सहमति के आधार पर बनाई गई है। हम सबका इसमें योगदान है, विकासशील देशों के साथ हमारा भाईचारा है, रंग भेद से हमारा विरोध है, फिलीस्तीनियों के तथा उनके स्वतंत्र राष्ट्र की मांग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, अपने पड़ोसियों के समय सम्बन्ध सुधारना तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना भी हमारी नीति में आता है। ये राष्ट्रीय नीतियां हैं और प्रतिपक्ष के नेता यह बात जानते थे कि इनका कोई विरोध नहीं होगा। अतएव हर बार वे यह पूछते हैं "आपकी स्थिति क्या है ?" क्योंकि वे यह जानते हैं कि हमारी स्थिति यह है कि इन नीतियों के प्रति कोई विरोध नहीं हो सकता।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसलिए दोनों वाजपेयी जी को क्वेट कर रहे थे। श्री नरसिंह राव जी और वह भी।

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : श्रीलंका के बारे में हम शांति चाहते हैं और तमिल ग्रुपों के बीच सदभावना के लिए और हस्तांतरण के माध्यम से उनकी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम इस प्रक्रिया में मदद करना चाहते है। इसके साथ-साथ, हमें जो समस्या विरासत में मिली है वह यह कि हमें अन्य ग्रुपों जिनके पास हथियार हैं और आपस में लड़ रहे हैं, का सामना करना पड़ रहा है। जैसे-तैसे हमें इस स्थिति से उबरना है और सेना को सम्मानजनक ढंग से वहां से निकालना है परन्तु इस बात पर भी विचार करना में है कि हमारी सेना ने जितना बलिदान किया है, उससे इस समय के दोरान हमारा कौन-सा राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा हो पाया है। हमारी सेना बहुत महान है। हमें अपनी सेना पर गर्व है। इसके सिबाए कोई रास्ता नहीं है और यह अन्तिम बलिदान है लेकिन यह सब किसलिए ? यह केवल राष्ट्रीय हित के लिए था।

नेपाल के सम्बन्ध में, हमने पहल की है। (**व्यवधान**)

श्री एम० आर० जनार्दनन् (तिरुनेलवली) : वहां तमिल सुरक्षित नहीं हैं। हमें परेशानी हो रही है, हमारे आदमी मारे जा रहे हैं। आपने इस बारे में क्या किया है ? (**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे तमिलों की चिन्ता है। पिछली सरकार जो अब विपक्ष में बैठी है, के दौरान दोनों ओर से तमिलों की जानें गई हैं। (**व्यवधान**)

श्री एम० आर० जनार्दनन् : दो सप्ताह से अधिक समय से शरणार्थी आ रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उधर बैठे प्रतिपक्ष के नेता जब तमिलनाडु गए उन्होंने द्रविड़ संस्कृति की बात की। दक्षिण की उसी द्रविड़ संस्कृति ने ही उनकी पार्टी को बचाया है। (**व्यवधान**)

नेपाल के बारे में, पहल शुरू हो चुकी है और वहां के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। हमने उन्हें आमंत्रित किया है और वे आ रहे हैं। देश की सुरक्षा तथा हित का ध्यान रखा जाएगा। हमारी सुरक्षा के खतरे की उपेक्षा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे विचार से नेपाल को भी यह बात समझनी चाहिए। इसके साथ-साथ हम यह भी समझते हैं कि नेपाल की भी समस्या है। हमारे उसके साथ विशेष सम्बन्ध हैं और यह चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है और हमें उसके सम्बन्ध में संवेदनशील होना चाहिए। दोनों ओर समझदारी होनी चाहिए यही हमारी कोशिश होगी।

इसके बाद चीन के सम्बन्ध में, हमने अपनी कार्यसूची में इसे रखना होगा और चीन से सम्बन्ध सुधारने को प्राथमिता देनी होगी। हम अपने राष्ट्रीय हित का पूरा ध्यान रखते रहे हैं और इसी सदर्भ में इन पहलों को जारी रखेंगे और उन बैठकों का जिनका प्रतिपक्ष के नेता ने जिक्र किया है, हम वे बैठकें शीघ्र बुलायेंगे। इनमें बाधा डालने का सवाल ही नहीं उठता। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : तिब्बत के बारे में आपका क्या विचार है ?

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : तिबब्बत चीन का स्वायत्तशासी क्षेत्र है। यह हमारा मत है।

श्री राजीव गांधी : इस बारे में आपके रेल मंत्री जी का क्या विचार है ? (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जब मैं कह रहा हूं तो मैं पूरी सरकार की ओर से बोल रहा हूं।

महोदय, जम्मू तथा काश्मीर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। वास्तव में हमारे सत्ता में आने के बाद जिससे हमें निराशा हुई वह है जम्मू तथा काश्मीर की स्थिति जो हमें विरासत में मिली है। गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं उनके दुःख को जानता हूं। मैं जानता हूं कि अन्तिम क्षण में उन्होंने कहा था "मैं उनसे समझौता नहीं करूंगा जो कुछ भी करना है जम्मू तथा कश्मीर सरकार को और अपनी ओर से मैं कोई समझौता नहीं करूंगा।" उन्होंने ऐसा कहा था। मैं इस विषय में बस यह जानता हूं। हमें ये स्थिति मिली है। 1985 में हिंसा की 390 घटनाएं हुई थीं; 1989 की इनकी संख्या 2080 है। 1988

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

में मृतकों की संख्या 31 थी, 1989 की 90 है। 1988 में बम विस्फोटों की संख्या 24 थी, 1989 की 476 है। मैं जानता हूं कि उनकी यह कहने की प्रवृत्ति है ये सब 15 दिनों में हुआ है (व्यवधान) 1988 में उग्रवादियों के सशस्त्र हमले—7 थे और 1989 में 117, 1988 में पुलिस फायरिंग की संख्या 51 थी, 1989 में यह 270 है। यदि वहां के लोगों तथा उग्रवादियों का साहस बढ़ा है तो यह केवल इसलिए कि पिछली सरकार इतनी असमर्थ थी और प्रशासन की कानून-व्यवस्था पर पकड़ ढीली थी। वास्तव में वहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। हमें ऐसी स्थिति विरासत में मिली। इस पर भी हमसे पूछा जाता है: "जो स्थितियां हमने पैदा की हैं उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं?" मेरे विचार से हमें इसे चर्चा का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जहां तक जम्मू तथा काश्मीर का सम्बन्ध है, मैं हर दरवाजे तथा हर दल के पास जिसमें प्रतिपक्ष का नेता भी शामिल है, देश को बचाने के लिए, जाने के लिए तैयार हूं। जम्मू तथा काश्मीर के मामले में हमें एक होना होगा। पंजाब के बारे में भी हमें एक होना होगा। इन मामलों को प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाया जा सकता। इस देश की रक्षा के लिए लोगों ने अपनी जानें दी हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसमें दलगत स्वार्थ आड़े नहीं आते। इस-लिए, देश की अखण्डता के लिए, मैं उनसे सहयोग करने और उनकी सहायता लेने के लिए तैयार हूं।

श्री राजीव गांधी : अपहरण की घटनाओं के बारे में आपको क्या कहना है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या कहा है। गृह मंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने डा० रूबिया के पिता के रूप में बहुत साहस दिखाया है। जब उनके कर्त्तव्य का समय आया, तो उन्होंने अपने कर्त्तव्य के साथ समझौता नहीं किया। मैं इसका प्रमाण दे सकता हूं। (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है और जिसे मैंने सुनी-सुनाई बात कहा है और जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं था, उसका आपने खण्डन नहीं किया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महान संत के जो शब्द माननीय प्रतिपक्षी नेता तीन घंटे से से कहे जा रहे हैं और उन्होंने जो कुछ है उसे ध्यान में रखना बहुत कठिन है अब उन्होंने जो कुछ कहा है उसके लिए मुझे इस दस्तावेज को पढ़ना पड़ेगा।

पंजाब के बारे में मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि अलगाववादी ताकतों के साथ समझौता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत के संविधान के विरुद्ध समझौता करने का सवाल ही नहीं उठता इसके लिए चाहे हमें किसी प्रकार की चुनौती का सामना क्यों न करना पड़े। देश की एकता और अखण्डता और भारत के संविधान में दी गई मूलभूत बातों, चाहे उनके जो भी नाम या परिभाषाएं दी गई हों, के साथ समझौता करने का सवाल ही नहीं पैदा होता।

छात्रावास में लड़कों अथवा किसी भी व्यक्ति जिसे धमकी दी जाती है की सुरक्षा के सम्बन्ध में हमने अनुदेश दिये हैं, हम उनका पालन करेंगे क्योंकि किसी भी नागरिक चाहे वह पंजाब का रहने वाला हो, की सुरक्षा मुख्य बात है। इस सम्बन्ध में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से लोगों का बड़ी संख्या में पलायन अथवा किसी भी प्रकार के डर को

हम गम्भीरता से लेंगे। हम इस बात का भरसक प्रयास करेंगे कि ऐसी बातें न हों। इसलिए इन मामलों के बारे में हमारा स्पष्ट मत रहा है।

श्री बसंत साठे : और गुरुद्वारों में हथियार एकत्र नहीं करने दिए जाएंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जो भी ऐसी बातें हैं, मन्दिरों अथवा धार्मिक स्थलों के दुरुपयोग के बारे में भी यही बात है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इससे अधिक आपने कोई और पहल ही नहीं की।

श्री बसन्त साठे : आप कीजिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हां, हम पहल करेंगे। उस खाई को पाटने के लिए जिसके बारे में आडवानी जी तथा सोमनाथ जी ने कहा है, यह नई पहल शुरू हुई है हमें इसे प्रशासन के जिम्मे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। हम लोगों के पास जायेंगे, उनसे बातचीत करेंगे तथा विश्वास बनाने की कोशिश करेंगे। हम पुनः जायेंगे और इस विश्वास को बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अन्य तरीके भी हैं—मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पर कारंवाही, 59वां संविधान संशोधन तथा अन्य मामलों पर कारंवाही। ये सब उपाय इसी प्रक्रिया के हिस्से हैं।

[हिन्दी]

श्री बसन्त साठे : लोकसभा के अन्दर तलवार तो नहीं लाने देंगे?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कुछ को तलवार से खतरा होता है, कुछ को नहीं होता है। आपके समय में ही जब सारे कैरीडोर में बन्दूक लिए यहां घेरे रहते थे तब आपको डर नहीं लगता था। यह तो चेयर की बात है। चेयर जो कहेगा वह होगा, हम हाउस के थोड़े ही मालिक हैं।

[अनुवाद]

आखिर में, मैं यह महसूस करता हूं कि सारे वाद-विवाद में एक महत्वपूर्ण पहलू छूट गया है। मैं विपक्ष के नेता से इस सम्बन्ध में आशा करता था क्योंकि वह युवावर्ग के हैं—युवाओं का उल्लेख नहीं किया गया है। युवाओं ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है। चार, पांच वर्षों तक प्रधानमंत्री युवा वर्ग का था—उसका वर्णन युवा प्रधान मंत्री के रूप में किया जाता था। लेकिन उस युवा प्रधानमंत्री ने देश को स्वरूप प्रदान करने में युवाओं की भागीदारी के लिए उनको याद नहीं किया। जब हमने धमकी दी कि हम अखिल भारतीय आंदोलन करेंगे तो मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष किया गया। यह उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं था बल्कि यह हमारे कार्यक्रम में शामिल था।

श्री रंगाराजन कुमार मंगलम : महोदय, इसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : रोजगार हमारी शिक्षा नीति न कि हमारे द्वारा अपनायी जा रही विशिष्ट वर्ग की नीति का आधारभूत सिद्धांत है। हमारी तीन शिक्षा नीतियां, शैक्षिक योजनायें हैं। एक शैक्षिक नीति गरीब लोगों के लिए है जो खुले में पेड़ के नीचे शिक्षा प्राप्त करते हैं। एक शैक्षिक नीति मध्यम-वर्ग के लोगों के लिए है जो गैर-सरकारी स्कूलों और सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं।

[श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह]

10.00 म० प०

एक शैक्षिक नीति अमीर लोगों के लिए है जो कान्वेंट और विशिष्ट संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस भिन्नता के होते हुए आप सब लोगों से एक साथ प्रतियोगिता करने को कहते हैं। मेरा विचार है कि इसमें निष्पक्षता और न्याय होगा। (व्यवधान)। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम युवाओं के लिए एक नीति बनाने के लिए जनवरी में देश के सभी युवा नेताओं से भेंट करेंगे, उनके साथ विचार-विमर्श करेंगे, उनके साथ मिलकर विचारों का आपस में आदान-प्रदान करेंगे तथा मेरा विचार हैं कि समाज को एक और अधिक विश्वसनीय ढंग से बदलने के लिए देश को एक युवा आंदोलन की जरूरत है।

हमने साम्प्रदायिकतावाद और दंगों के सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट कर दी हैं तथा इसके बारे में कोई मतभेद नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष भारत ही शक्तिशाली और संगठित हो सकता है। हम देश की भावनात्मक एकता का समर्थन करते है तथा हम इसे किसी भी रूप में बंटने नहीं देंगे तथा साम्प्रदायिक सद्भाव हमारा आधारभूत सिद्धांत है। अल्पसंख्यक लोगों को शामिल न करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, हम उनको न केवल सुरक्षा प्रदान करेंगे बल्कि उनको भारत के आर्थिक विकास में भागीदार भी बनायेंगे और वे जहां कहीं भी कठिनाई में हैं, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनको विकास का लाभ मिले तथा वे यह महसूस करें कि वे इस महान देश का एक हिस्सा हैं। इसलिए हम भागलपुर की घटनाओं के बारे में यह विशेष कार्यवाही करेंगे। मैं केन्द्रीय सरकार की ओर से आपको आश्वासन देता हूं कि हम भागलपुर के दंगा पीड़ितों को राहत देने के लिए अपनी पाई-पाई के दंगे तथा मैं अपना दौरा शुरू करने से पहले—मैंने अपना राजनीतिक दौरा शुरू नहीं किया है—तीन तारीख को भागलपुर गया था तथा मैं सद्भाव लाने के अपने वायदे पर अभी तक कटिबद्ध हूं। इन शब्दों के साथ मेरा विचार है कि—अभी बहुत से प्रश्न बाकी हो सकते हैं लेकिन मेरा विचार है कि मैंने न्याय करने का भरसक प्रयास किया है—राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ··· (व्यवधान)।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं अध्यक्ष पीठ तथा प्रधानमंत्री की अनुमति से यह पूछना चाहती हूं कि महिलाओं के बारे में आपको कम से कम कुछ कहना चाहिए। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मेरा विचार है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 30% स्थान आरक्षित हैं तथा यह हमारी विकास नीति का एक हिस्सा है। उनको विभागों में हिस्सा दिया जाना चाहिए तथा महिलाओं के लिए जो नौकरियां उपयुक्त है उनमें उनको जगह दी जानी चाहिए। यह हमारी नीति का एक हिस्सा है। मैं एक और बात जनसख्या वृद्धि के बारे में कहना चाहता हूं, इस विषय पर कुछ नहीं कहा गया है, मेरा विचार है कि यदि हमें जनसख्या वृद्धि की समस्या से निपटना है तो महिलाओं को शिक्षित करना सबसे आवश्यक है तथा यदि हम इसको नौकरियों के साथ जोड़ देते हैं, तो इससे उनकी शिक्षा को स्वाभाविक रूप से बढ़ावा मिलता है। इन शब्दों के साथ···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आरक्षण के बारे में आपका क्या विचार है ? आप अपनी नीति स्पष्ट करें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम इसे पारित करा सकते हैं। इसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ आपत्तियां हैं। लेकिन इसके बावजूद अ० जा०, अ० ज० जा० के लिए आरक्षण सम्बन्धी एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया है। मेरा विचार है कि यदि हम यहां जो कुछ करते हैं उसकी जांच करनी है तो हमें सबसे निचले स्तर के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहिए तथा उनके सामाजिक स्तर को ध्यान में रखकर इस बात की जांच करनी चाहिए कि हम इस सभा में जो कुछ कर रहे हैं उससे उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरा विचार है कि हम जो कुछ यहां करते हैं यह उसकी अग्नि-परीक्षा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई और प्रश्न मत कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों ने धन्यवाद प्रस्ताव पर बहुत से संशोधन रखे हैं। क्या मैं उन संशोधनों को सभा में मतदान के लिए एक साथ रख सकता हूं? यदि कोई सदस्य किसी विशेष संशोधन को अलग से रखना चाहता है तो वह इसके बारे में कह सकता है।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां, श्री चिदम्बरम कहिए।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, आपको बड़ी संख्या में संशोधन प्राप्त हुए हैं। आपको इस सभा के गठन की जानकारी है। गीता मुखर्जी ने अभी-अभी कहा, "महिलाओं के बारे में कुछ कहिए"। महिलाओं के बारे में एक संशोधन है। मेरा विचार है कि यह नहीं माना जा सकता कि सभी संशोधन को या तो स्वीकार कर लिया जायेगा अथवा उनको अस्वीकार कर दिया जायेगा। आपको हमसे पूछना होता है—मेरा विचार है कि आपने दो दिन पहले हमारे द्वारा रखे जाने वाले संशोधनों के बारे में एक स्लिप देने को कहा था। मेरा विचार है कि पीठासीन सभापति श्री तम्बि दुराई ने हमको यह बताने के लिए केवल 15 मिनट का समय दिया था कि हम कौन से संशोधनों के लिए आग्रह कर रहे हैं। हम सबने उन संशोधनों की सूची दी है जिनके लिए आग्रह कर रहे हैं। वह सूची आपके पास है। आप प्रत्येक सदस्य से पूछिए कि क्या वह अपने संशोधन को मिलाकर एक साथ रखना चाहता है अथवा वह उसको अलग से रखना चाहता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रो० सैफुद्दीन सोज उपस्थित हैं? नहीं वे उपस्थित नहीं हैं। मैं प्रो० सैफुद्दीन सोज द्वारा रखे गए संशोधन सं० 1 से 3, 5 तथा 11 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 1 से 3, 5 तथा 11 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री संतोष मोहन देव द्वारा रखे गए संशोधन सं० 12 को विचारार्थ रखता हूं।